फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)

डॉ. महेन्द्र सिंह ढाका, ई–18 विश्वविद्यालय आवास, अशोक नगर मुख्य मार्ग, उदयपुर	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अति. संभागीय आयुक्त उदयपुर

किस्म मुकदमा निगरानी/अपील/मुकदमा नं. 1/2026 आर.टी.आई. अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
05/03/2026	डॉ. महेन्द्र सिंह ढाका द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर को दिनांक 20.01.2026 आवेदन पत्र प्रस्तुत कर चाही गयी सूचना प्राप्त नहीं होने से प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर को भेज बिन्दुवार टिप्पणी दिनांक 18.03.2026 से पूर्व चाही जाकर उसकी प्रति अपीलार्थी को भिजवाने हेतु लिखा जावें। तत्पश्चात यदि अपीलार्थी व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है, तो उसे सुनवाई की तिथि हेतु लिखा जावें।		
18/03/26	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रेषित कर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थिति संभव नहीं होना अवगत कराते हुए RTI के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही कराने हेतु अनुरोध किया। लोक सूचना अधिकारी ADC उदयपुर का प्रत्युत्तर प्राप्त। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 30/03/2026 को पेश हो।		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
30/03/24	पत्रावली पेश हुई। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को वांछित वृहद सूचना का चाहा गया विवरण उपलब्ध नहीं कराए जाने से अपील खारिज की जाती है। मिसल फैसल शुमार हो। [signature] 30/3/2024 संभागीय आयुक्त उदयपुर (राज.)		

जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार

कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294–2420064, 0294–2420237
ई–मेलः divcomm-udai-rj@nic.in

क्रमांकः–एफ 17/14/आर.टी.आई./प्रथम अपील/2026/35 दिनांकः 30/03/2026

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा–19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
अपील संख्या–01/2026

डॉ. महेन्द्र सिंह ढाका,
ई–18 विश्वविद्यालय आवास,
अशोक नगर मुख्य मार्ग,
उदयपुर — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर — प्रत्यर्थी

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर (लोक सूचना अधिकारी) को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.01.2026 अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होने से प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर के समक्ष दिनांक 26.02.2026 को प्रेषित की गई।

1. प्रार्थना पत्र एवं अपील का विवरण :–

1.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक	20.01.2026
2.	प्रार्थना पत्र का जबाब/सूचना प्रेषित किये जाने की दिनांक	30.01.2026
3.	लोक सूचना अधिकारी, जिसने जबाब प्रेषित किया/किया जाना है	अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
4.	प्रथम अपील प्राप्ति दिनांक	27.02.2026
5.	प्रथम अपील सुनवाई दिनांक	18.03.2026
6.	प्रथम अपील निर्णय दिनांक	30.03.2026

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :– सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा दिनांक 20.01.2026 से निम्न सूचना चाही गई –

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना
1.	वित्त (व्यय–01) विभाग, राजस्थान शासन आज्ञा क्रमांक प. 8(1)वित्त/व्यय–1/2009 पार्ट दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 की अनुपालना में संभाग के संबंधित राज्य पोषित विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध मण्डलों और वित्त समितियों की बैठकों में दिनांक 06.10.2018 से 20.01.2026 तक वित्त विभाग के प्रतिनिधित्व हेतु संभागीय आयुक्त

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार

कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294–2420064, 0294–2420237
ई–मेलः divcomm-udai-rj@nic.in

	कार्यालय द्वारा उक्त अवधि में अधिकृत किये गये अधिकारियों को जारी किये गये सभी आदेश/निर्देश पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने।

अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र संबंधित सूचना प्राप्त नहीं होने से प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

3. **प्रकरण का निर्णयः–**

अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई दिनांक 18.03.2026 को उपस्थित होने का नोटिस दिनांक 09.03.2026 को जारी किया गया। अपीलार्थी के पत्र दिनांक 15.03.2026 द्वारा सुनवाई में व्यक्तिगत उपस्थिति संभव नहीं होने से आवेदन अनुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर उपस्थित होकर अवगत कराया कि प्रार्थी ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दिनांक 20.01.2026 को प्रेषित किया जिसे इस कार्यालय के पत्रांक 314 दिनांक 30.01.2026 द्वारा स्पष्ट/पूर्ण विवरण सहित उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। तत्पश्चात उपर्युक्त क्रम में प्रार्थी द्वारा पुनः पत्र दिनांक 08.02.2026 प्रेषित किया गया जिसे इस कार्यालय के पत्रांक 517 दिनांक 13.02.2026 द्वारा पुनः स्पष्ट/पूर्ण विवरण भिजवाने हेतु लिखा गया, किन्तु प्रार्थी द्वारा पूर्ण/स्पष्ट विवरण नहीं भिजवाया जाकर यह प्रथम अपील की गयी है।

इसके अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा संभाग के विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध मण्डलों और वित्त समितियों की बैठकों हेतु इस कार्यालय से अधिकृत किये गये अधिकारियों के आदेश/निर्देशों संबंधित प्रति चाही गयी है किन्तु प्रार्थी द्वारा कौनसे विश्वविद्यालय संबंधित आदेश/निर्देश की जानकारी चाही गयी है स्पष्ट नहीं है तथा साथ ही चाही गई सूचना, विभिन्न पत्रावलियों के आधार पर तैयार की जाने वाली सूचना है तथा सूचना का प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप से संबंध नही रखता है। अतः सूचना देय नही है। प्रार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी ने आवेदन पत्र में दिनांक 06.10.2018 से 20.01.2026 तक उदयपुर संभाग के राज्य पोषित विश्वविद्यालयों में वित्त विभाग के प्रतिनिधित्व हेतु संभागीय आयुक्त कार्यालय से अधिकृत अधिकारियों के संबंध में जारी आदेश/निर्देश पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि चाही है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना संभाग के समस्त विश्वविद्यालयों से संबंधित होकर, विभिन्न पत्रावलियों में संधारित एवं विस्तृत है तथा जिसमें किसी भी प्रकार का लोक हित निहित होना भी प्रतीत नही होता है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को वांछित वृहद सूचना का चाहा गया विवरण भी उपलब्ध नहीं करवाया गया है, जिससे सूचना प्रदायगी सुगम हो। अतः अपीलार्थी की अपील आज दिनांक 30.03.2026 को खारिज की जाती है।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार

कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294–2420064, 0294–2420237
ई–मेल: divcomm-udai-rj@nic.in

अगर अपीलार्थी उक्त आदेश से असंतुष्ट है तो माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, झालाना डूंगरी जयपुर में 90 दिवस के भीतर द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(प्रज्ञा केवलरमानी) IAS
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर
(प्रथम अपील अधिकारी)

प्रतिलिपिः–

1. डॉ. महेन्द्र सिंह ढाका, ई–18 विश्वविद्यालय आवास, अशोक नगर मुख्य मार्ग, उदयपुर
2. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर।

संभागीय आयुक्त,
उदयपुर
(प्रथम अपील अधिकारी)